न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या – 45 / 2025

प्रार्थीगण

1.दुर्गाराम पुत्र प्रभुराम जाति भील निवासी गागरिया स्टेशन तहसील रामसर।

उनवान

विप्रार्थीगण

1. चिन्दुराम पुत्र वकीलाराम जाति जोगी
2. श्रीमती कमली पत्नी फोटाराम जाति जोगी
3. श्रीमती गोमीदेवी पत्नी फोटाराम जाति भील निवासी गागरिया स्टेशन।
4. प्रभुरामपुत्र गोकुराम जाति भील
5. हीराराम पुत्र गोकुराम जाति भील
6. बुलाराम पुत्र सांगाराम जाति भील निवासी सियाई।
7. श्रीमती रहीमादेवी पत्नी चतुराम जाति भील निवासी चाडवा उर्फ झाडवा तहसील रामसर।
8. तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत नेखमबंदी

दिनांक :– 26.09.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **20.01.2025** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **गागरिया स्टेशन पटवार मण्डल गागरिया भूअनि गागरिया के खसरा संख्या 146 / 67 रकबा 0.0567 हैक्टयर** उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्रार्थीगण को सम्मन रजिस्टर्ड जारी होने बावजूद उपस्थित नही एवं जवाब प्राप्त नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। बहस सुनी गई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **गागरिया स्टेशन पटवार मण्डल गागरिया भूअनि गागरिया के खसरा संख्या 146 / 67 रकबा 0.0567 हैक्टयर** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000 / – अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में मौके पर विवाद होने, किसी न्यायालय में स्थगन एवं मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों / अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।

यह आदेश आज दिनांक **26.09.2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(राम लाल मीणा) 26/9/2025
उपखण्ड अधिकारी रामसर

दिनांक : 14/10/2025

क्रमांक : रीडर / 2025 / 875-78

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2025.10.27 11:43:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर [illegible] निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी रामसर।
3. प्रार्थी दुर्गाराम पुत्र प्रभुराम जाति भील निवासी गा[illegible] स्टेशन तहसील रामसर।
4. विप्रार्थीगण श्री चिन्दुराम पुत्र वकीलाराम वगेराह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर